बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0

खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर, ब्लॉक रोड नं0-2 पटना 800001

पत्रांकः-2:15:53:1:2017-438 पटना/दिनांकः 15.01.2018

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक (जन वितरण),
मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
सभी अपर जिला प्रबंधक(जन वितरण)
राज्य खाद्य निगम, बिहार।

विषयः- जिलो में पदस्थापित अपर जिला प्रबंधक (जन वितरण प्रणाली) के कार्य एवं दायित्व का निर्धारण के सम्बन्ध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सरकार द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का पुर्नगठन किये जाने के फलस्वरूप राज्य में संचालित योजनाओं का सफल संचालन एवं अधिप्राप्ति तथा जन वितरण व्यवस्था को अलग करते हुये पारदर्शी एवं प्रभावकारी व्यवस्था लागू करने हेतु निगम मुख्यालय के अतिरिक्त जिला में अपर जिला प्रबंधक (जन वितरण) का पद सृजित कर पदस्थापना की गई है। जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से प्राप्त खाद्यान्न का आवंटन के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम से उठाव/भंडारण एवं डोर स्टेप डिलेवरी के माध्यम से जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के व्यापार स्थल पर ससमय खाद्यान्न हस्तगत कराने की जिम्मेवारी राज्य खाद्य निगम की है। जन वितरण कार्यो का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं जन वितरण कार्य में पारदर्शिता हेतु अपर जिला प्रबंधक (जन वितरण) कार्य का दायित्व सौपा जाना आवश्यक है, ताकि जन वितरण प्रणाली को सफल संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। उक्त स्थिति में जिला प्रबंधक के अधीन अपर जिला प्रबंधको का कार्य दायित्व निम्नवत् निधारित की जाती है।

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत जिले को प्राप्त आवंटित खाद्यान्नों का भारतीय खाद्य निगम एवं सी0एम0आर0 गोदाम से उठाव का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं उठाव जिला प्रबंधक के अधीन रहते हुये करायेगे। जिला के लक्ष्य के अनुसार खाद्यान्न का उठाव प्रत्येक कार्य दिवस पर करायेंगे, ताकि निर्धारित समयावधि में खाद्यान्न का शत् प्रतिशत् उठाव सुनिश्चित हो सके।

2. जिले से सम्बद्ध भारतीय खाद्य निगम के डीपो में खाद्यान्न के भंडार का प्रत्येक दिन अनुश्रवण करेंगे एवं खाद्यान्न के कमी होने से संबंधित सूचना तुरन्त जिला प्रबंधक के माध्यम से निगम मुख्यालय को सूचित करेंगे, ताकि विषयांकित बिन्दु पर मुख्यालय स्तर से त्वरित कार्रवाई की जा सके।

3. जिले के आवंटन के अनुरूप लक्षित जन वितरण प्रणाली के विक्रेतावार खाद्यान्न का उपआवंटन सूची जिला प्रशासन के स्थानीय पदाधिकारी यथा अनुमंडल पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर निर्धारित फुड कैलेण्डर के अनुरूप प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

4. लक्षित जन वितरण प्रणाली के दूकानदारो को निर्गत ई-चालान के विरुद्ध निगम खाते में राशि जमा का अनुश्रवण करेंगे। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओ द्वारा राशि निगम खाते में जमा करने में विलम्ब होता है तो इसकी सूचना जिला प्रबंधक को देगे। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि जिला प्रशासन के संबंधित पदाधिकारियो से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे, ताकि समय पर निर्धारित प्रक्रियानुसार जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओ को खाद्यान्न हस्तगत कराने में कोई व्यवधान न हो।

5. अपर जिला प्रबंधक (जन वितरण) समय पर जिला का उपआवंटन के आलोक में राशि जमा होने पर SIO Elegible, SIO Printing, SIO निर्गमन संबंधित विवरणी का सतत् अनुश्रवण हेतु जिला प्रबंधक को अवगत करायेगे।

N TPDS

6. जिलान्तर्गत संचालित टी0पी0डी0एस0 गोदाम का निरीक्षण, भंडारित खाद्यान्न का स्टैकिंग, खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं जिला प्रबंधक के नियंत्रणाधीन आवश्यकतानुसार कीटनाशक दवाओ का छिड़काव करने हेतु गुण नियंत्रक को आवश्यक निदेश देगे एवं इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

7. प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में गोदामों में संधारित आगत पंजी, विक्री पंजी एवं भंडार पंजी का परफोरेटेड सीट की जाँच, लेखा शाखा से कराकर सत्यापन स्वंय करेंगे एवं निरीक्षण की तिथि अंकित कर सत्यापन करायेंगे। साथ ही जिला प्रबंधक को अवगत करायेंगे एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करायेंगे।

8. सभी जन वितरण प्रणाली के गोदामो का वार्षिक सत्यापन चक्रीय व्यवस्था के तहत् जिला अन्तर्गत गोदामो का 100 प्रतिशत खाद्यान्न निर्गत कराकर शून्य सत्यापन (Zero P.V) कराना, खाली गोदाम का विडियोग्राफी एवं दवा छिड़काव के उपरान्त पुनः उक्त गोदाम में खाद्यान्न का भंडारण की अनुमति जिला प्रबंधक से प्राप्त करेंगे। जिस जिले में 10 (दस) टी0पी0डी0एस0 गोदाम कार्यरत है उसमें मासिक रूप से एक गोदाम एवं 10 (दस) से अधिक गोदाम संचालित है तो प्रत्येक माह दो गोदाम का शत् प्रतिशत भौतिक सत्यापन करायेंगे। अगर भौतिक सत्यापन के क्रम में टी0पी0डी0एस0 गोदाम में खाद्यान्न की क्षति पाई जाती है तो उसकी सूचना अविलम्ब जिला प्रबंधक को देगें। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा की विषयांकित मामले की सूचना अग्रेतर कार्रवाई हेतु निगम मुख्यालय के जन वितरण/भंडारण प्रभाग को उपलब्ध करायेंगे। ताकि जबावदेही तय कर शीघ्र कार्रवाई हो सके।

9. जन वितरण गोदाम में भारतीय खाद्य निगम/सी0एम0आर0 गोदामो से खाद्यान्न का उठाव/परिवहन कराकर खाद्यान्न का भंडारण ससमय कराने का दैनिक अनुश्रवण कर सहायक प्रबंधक को आवश्यक निदेश देंगे, ताकि परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये ट्रको से पुनः भारतीय खाद्य निगम डीपो में प्रेषित कराकर खाद्यान्न लोडिंग कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित कराया जा सके।

10. जिला प्रबंधक एवं अपर जिला प्रबंधक (जन वितरण) की संयुक्त जबावदेही होगी कि अधीनस्थ जन वितरण के गोदामो से खाद्यान्न निर्गमन के क्रम में (FIFO) पद्यति (प्रथम आगत प्रथम निर्गत) का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

11. कतिपय जिलो में भारतीय खाद्य निगम के कई गोदाम क्रियाशील है। वैसी स्थिति में भारतीय खाद्य निगम के गोदामो से निगम के नजदीक गोदामो की सम्बद्धता सुनिश्चित कर खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम उठाव एवं प्रेषण की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

12. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अतिरिक्त राज्य में मध्याह्न भोजन योजना एवं डब्लु0बी0एन0पी0 योजना संचालित है। उक्त योजनाओ के अन्तर्गत त्रैमासिक रूप से प्राप्त खाद्यान्न का आवंटन के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम से उठाव की समीक्षा हेतु जिला प्रबंधक को सहयोग करेंगे एवं मासिक रूप से उठाव एवं वितरण कार्य निर्धारित प्रावधानो के तहत् कराना सुनिश्चित करायेंगे।

13. मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का उठाव के पश्चात् परिवहन/हथालन का अद्यतन विपत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना को उपलब्ध कराकर विपत्र राशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु जिला प्रबंधक को सहयोग करेंगे एवं राशि प्राप्त होते ही जिला प्रबंधक निगम मुख्यालय के खाता में अविलम्ब स्थानान्तरित करेंगे।

14. भारतीय खाद्य निगम/सी०एम०आर० गोदाम से उठाव कराये गये खाद्यान्न का जिला कार्यालय के केन्द्रीय आर०ओ० रजिस्टर जिला प्रबंधक की देखरेख में संधारण करायेंगे एवं सत्यापन कर जिला प्रबंधक के साथ संयुक्त हस्ताक्षर अंकित करेंगे।

15. जिले में आपदा की स्थिति में जिला पदाधिकारी के निर्देशन में बाढ़ पीड़ितो को समुचित सहायता प्रदान करने हेतु त्वरित गति से कार्य सम्पादित करेंगे। बाढ़ राहत् मद् में प्राप्त आवंटित खाद्यान्नों का अन्य योजनाओ में निर्धारित प्रक्रियानुरूप खाद्यान्न का उठाव/वितरण कार्य सम्पादित करायेंगे।

16. डोर स्टेप डिलेवरी योजना के माध्यम से निगम गोदाम से लक्षित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद्यान्न हस्तगत कराने का अनुश्रवण एवं प्रत्येक दिन खाद्यान्न वितरण से संबंधित सूचना एवं जन वितरण एवं अन्न पर्यवेक्षण कबच का अनुश्रवण प्रतिवेदन जिला प्रबंधक को देगें।

17. किसी अपरिहार्य कारणवश जिले का आवंटित खाद्यान्न व्ययगत हो जाता है तो व्ययगत खाद्यान्न की सन्निहित राशि का विपत्र एक सप्ताह के अन्दर जिला प्रबंधक के समक्ष उपस्थापित करने की कार्रवाई किया जाना एवं राशि स्थानान्तरण के बिन्दु पर संबंधित क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय से लगातार अनुश्रवण कर व्ययगत खाद्यान्न में सन्निहित राशि का हस्तानान्तरण निगम मुख्यालय को जिला प्रबंधक के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।

18. Supply Chain Management का अनुश्रवण एवं SMS, GPS/loadcell का Monitoring करना एवं सेवा प्रदाता 4G Identity Solution के द्वारा ऑनलाईन रिपोर्ट का पर्यवेक्षण करने में जिला प्रबंधक को सहयोग करेंगे।

19. परिवहन सह हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य) एवं डी०एस०डी० संवेदक से प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विगत माह का परिवहन/हथालन विपत्र जिला कार्यालय में जमा कराने हेतु जिला प्रबंधक को सहयोग करेंगे।

20. परिवहन अभिकर्त्ता के द्वारा समर्पित परिवहन/हथालन विपत्र में उल्लेखित मात्रा का भारतीय खाद्य निगम/सी०एम०आर० गोदाम से उठाव की मात्रा की सम्पुष्टी करेंगे साथ ही डोर स्टेप डिलेवरी के तहत् परिवहन विपत्र में उल्लेखित मात्रा की पुष्टि जिला प्रबंधक के साथ संयुक्त रूप से करेंगे।

21. जन वितरण प्रणाली के सफल संचालन की संपूर्ण जवाबदेही जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम की पूर्ववत् रहेगी एवं अपर जिला प्रबंधक के दायिवत्व को सुचारू रूप से अनुपालित करना सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-
मुख्य महाप्रबंधक(जन वितरण)

ज्ञापांक - 438 पटना/ दिनांक - 15.01.2018

प्रतिलिपिः— सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
मुख्य महाप्रबंधक(जन वितरण)

ज्ञापांक - 438 पटना/ दिनांक - 15.01.2018

प्रतिलिपिः— विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
मुख्य महाप्रबंधक(जन वितरण)

ज्ञापांक - 438 पटना/ दिनांक - 15.01.2018

प्रतिलिपिः— महाप्रबंधक (क्षेत्र), भा०खा०निगम, अरूणाचल भवन एक्जीविशन रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक(जन वितरण)

N TPDS